न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

अपील डिक्री / टीए / 2837 / 2002 / भरतपुर

1– भीमा पुत्र श्रीलाल
2– वासदेव पुत्र रोशन
समस्त जाति जाट निवासी नंगला फौजदार तहसील डीग जिला भरतपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

1– रघुवीर सिंह पुत्र मदन (मृतक) जरिये वारिसान–
1/1– नवाब सिंह
1/2– राजेन्द्र | पुत्रगण रघुवीर
1/3– बन्टू
1/4– हजारी बैवा रघुवीर
2– फूलसिंह पुत्र मदन
3– शिवसिंह पुत्र मदन (मृतक) जरिये वारिसान–
3/1– अमरसिंह
3/2– पुष्पेन्द्र | पुत्रगण शिवसिंह
3/3– देवेन्द्र
3/4– मुन्द्रा बेवा शिवसिंह
समस्त जाति फौजदार निवासी नगला फौजदार तहसील डीग जिला भरतपुर।
4– किरण उर्फ किना पत्नि भूरासिंह पुत्री मदन जाति फौजदार हाल निवासी ग्राम गुदड पो0 पानी गॉव तहसील माठ जिला मथुरा उत्तरप्रदेश।
5– कमलेश उर्फ कोका पत्नि थानसिंह पुत्री मदन जाति फौजदार हाल निवासी भूडागेट कचहरी के पास डीग जिला भरतपुर।
6– मु0 सफेदी बैवा मदन (मृतक)
7– भूरासिंह पुत्र रघुनाथ
8– कारेसिंह पुत्र रघुनाथ
9– धनसिंह पुत्र रामस्वरूप
10– मु0 लीला बैवा छोटेलाल
11– निरंजन पुत्र छोटेलाल
12– बच्चूसिंह पुत्र छोटेलाल
13– पुष्कर पुत्र ध्रूवसिंह
समस्त जाति फौजदार निवासी नंगला फौजदार तहसील डीग जिला भरतपुर।
14– हब्बुलाल पुत्र कमल जाति जाट निवासी नंगला फौजदार तहसील डीग जिला भरतपुर।

–रेस्पोडेण्ट्स

खण्डपीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
डॉ. श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश ओझा, अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री जे. के. पारीक, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स।

निर्णय

दिनांक— 3—12—2024

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत् राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 06/2001 में पारित निर्णय दिनांक 4—3—2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट/वादी मृतक मदन द्वारा सहायक कलेक्टर, डीग के समक्ष एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके नगला चाहर तहसील डीग में स्थित आराजी खसरा नंबर 1536/0.16 वादी के कब्जे काश्त खातेदारी है, जो आपसी तौर पर मनवट होकर वाहिद वादी के कब्जे व हिस्से में आया हुआ है, जिस पर मौके पर वाहिद वादी का ही कब्जा बतौर खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण उक्त खसरा नंबर पर जबरन कब्जा कर उसमें निर्माण आदि कर मौका व किस्म तब्दील करने पर आमादा है। उक्त खसरा नंबर के राजस्व रिकार्ड में वादी के शरीफ प्रतिवादीगण का भी नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित किया जा रहा है, जबकि उनका कोई कब्जा काश्त नहीं है। इसलिए वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को वादी के कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नंबर 1536/0.16 वाके नगला चाहर तहसील डीग में किसी भी भाग पर जबरन कब्जा नहीं करने या निर्माण आदि कर मौका व किस्म जमीन तब्दील नहीं किये जाने हेतु पाबंद किया जावे। उक्त वाद का प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने

खसरा नंबर 1536/0.16 वाके ग्राम नगला चाहर तहसील डीग में गैर मुमकिन चाह होना बताया है, जो मनगंढत है। इस खसरा नंबर में कोई भी गैर मुमकिन चाह, पक्का कुआ कभी भी नहीं रहा है और न मौके पर ही है। यह गैर मुमकिन चाह इसी खसरा नंबर 1536/0.16 वाके ग्राम नगला चाहर तहसील डीग से सटे हुए खसरा नंबर 71/0.26 में स्थित है। वादी के खसरा नंबर 1536/0.16 वाके ग्राम नगला चाहर तहसील डीग के दक्षिण सीमा में नगला फौजदार मौजा तहसील डीग के खसरा नंबर 68/0.21 का है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 के पिता कमल तथा चाचा किशन पुत्र मिश्री निवासी नगला फौजदार तहसील डीग के नाम की खातेदारी में है, जिस पर उन्हीं का कब्जा है। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीग द्वारा निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई।

1— आया वादी विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं?

2— दादरसी

दावे, जवाबदावे एवं कायम की गई तनकीयात के आधार पर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीग द्वारा अपने निर्णय दिनांक 8—12—2000 द्वारा रेस्पोडेंट्स/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीग द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8—12—2000 से व्यथित होकर रेस्पोडेंट्स द्वारा एक अपील राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 4—3—2002 द्वारा रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8—12—2000 निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4—3—2002 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3— हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4— अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत हैं। उनका कथन है कि सहायक कलेक्टर, डीग ने विवादग्रस्त आराजी के चाह बाबत् मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगाई गई थी। मौका कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में

खसरा नंबर 1536 में कोई कुआं न होने की पुष्टि की । उसके बावजूद राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर ने रेस्पोडेंट्स की अपील को स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट्स की अपील मात्र खसरा गिरदावरी संख्या 2055 से 2058 को आधार मानकर स्वीकार की है, जो गलत है। सहयक कलेक्टर, भरतपुर ने अपने निर्णय में मात्र रेस्पोडेंट्स ने जो जमाबंदी संवत् 2051 से 2054 की पेश की है, उसमें कहीं भी चाह का अंकन नहीं है और न ही संवत् 2055 से 2058 की जमाबंदी पेश हुई। इसलिए मात्र खसरा गिरदावरी संवत् 2055 से 2058 पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर चाह का अंकन होता है तो पूर्व के राजस्व रिकार्ड में भी अंकन होता है। उनका यह भी कथन है कि अपीलांट्स / प्रतिवादीगण ने खसरा नंबर 1536 में रेस्पोडेंट्स / वादीगण के कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप नहीं किया और न ही कर रहे हैं। बल्कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 6 कुएं की आड़ में अन्य खसरा नंबर जो 68 व 71 जो कि खसरा नंबर 1536 से सटा हुआ है, पर कब्जा करना चाहते हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–3–2002 निरस्त किया जावे।

5– रेस्पोडेंट के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है विवादित आराजी खसरा नंबर 1536 / 0.16 एअर है, ये खसरा नंबर रेस्पोडेंट्स के पिता मदन के कब्जे काश्त में रहा और मदन की मृत्यु के बाद रेस्पोडेंट्स का इस पर कब्जा काश्त है। इस आराजी में अपीलांट्स का कोई संबंध नहीं है। रेस्पोडेंट्स ही इसके रिकार्डेड खातेदार हैं। अपीलांट का न तो कब्जा है और न वे खातेदार हैं। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना आदेश 41 नियम 21 सीपीसी के साथ खसरा गिरदावरी संवत् 2056 से 2058 पेश की है, जिससे खसरा नंबर 1536 / 0.16 में बारानी प्रथम 0.15 एअर और गैर मुमकिन चाह 0.1 एअर दर्ज है। रेस्पोडेंट्स के पिता व अन्य इसमें खातेदार दर्ज है। कुएं का इन्द्राज तहसीलदार द्वारा मौका मुआइना करके किया है। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

6– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट / वादी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अपीलाण्ट व शेष रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत एक वाद प्रस्तुत कर रेस्पोडेण्ट के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 1536 / 0.16 वाके नगला चाहर तहसील डीग में स्थित आराजी में अपीलाण्ट किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करने हेतु प्रस्तुत किया । जिसके जबाव में अपीलाण्ट / प्रतिवादी द्वारा यह कथन किया कि रेस्पोडेण्ट / वादी द्वारा खसरा नंबर 1536 / 0.16 वाके ग्राम नगला चाहर तहसील डीग में गैर मुमकिन चाह बताया है जबकि इस पर कभी पक्का कुऑ भी नहीं रहा न ही मौके पर है जबकि खसरा नंबर 71 / 0.16 जो इसी रकबे का सटा हुआ नंबर है, उस पर गैर मुमकिन चाह है एवं उक्त रकबे पर अपीलाण्ट / प्रतिवादी करीब 50 साल से काबिज है एवं उनके हिस्से में ही गैर मुमकिन चाह मौजूद है । खसरा नंबर 1536 / 0.16 वाके ग्राम नगला चाहर तहसील डीग के दक्षिण में सटी सीमा से नगला फौजदार मौजा तहसील डीग के खसरा नंबर 68 / 0.21 है, जिस पर प्रतिवादी नंबर 3 के पिता कमल तथा चाचा किशन पुत्र मिश्री निवासी नगला फौजदार तहसील डीग के नाम की खातेदारी में है जिस पर उनकी कब्जा है और प्रतिवादी नंबर 3 इसी आराजी 68 / 21 वाके ग्राम नगला फौजदार में कृषि प्रयोजना हेतु वाडा खींचना चाहता है । इस कारण वादी ने दावा परेशान करने की नियत से दायर किया है । अतः दावा खारिज किया जावे ।

8— पत्रावली पर उपलब्ध मौका आयुक्त की रिपोर्ट दिनांक 10—2—99 में निम्न अंकित किया है— '' जहॉ तक चालू हालत के खेत 1536 है वह जी टू एच बिन्दु तक है तथा ए बिन्दु पर कुऑ दिखाया गया है जो चूना व ईंटो से बना हुआ है तथा लगभग सैंकडों साल पुराना है । '' इस प्रकार रिपोर्ट के मुताबिक कुऑ खसरा नंबर 1536 में नहीं दर्शाया जाकर अलग ए बिन्दु पर दर्शाया गया है । इसी रिपोर्ट में आगे यह भी अंकन किया गया कि गैर मुमकिन चाह का इन्द्राज किसी भी पटवारी के यहॉ मौजूद नहीं है । पत्रावली पर उपलब्ध नक्शे में भी कुॅआ ए बिन्दु पर दर्शाया गया है जो खसरा नंबर 1536 की सीमा जी टू एच से आगे लगभग 5 मीटर दूरी पर है।'' सहायक कलेक्टर डीग द्वारा अपने निर्णय दिनांक 8—12—2000 से रेस्पोडेण्ट / वादी का दावा दस्तोवजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं मानकर खारिज कर दिया । उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेण्ट / वादी द्वारा प्रस्तुत अपील को इस आधार पर स्वीकार किया कि अपीलाण्ट खसरा गिरदावरी संवत 2055—58 के आधार पर खसरा नंबर 1536 में एक

एयर रकबे पर गैर मुमकिन चाह का नोट अंकित है। इस आधार पर उसे खातेदार माना एवं रेस्पोडेण्ट का नाम दर्ज नहीं होने से रेस्पोडेण्ट/वादी की अपील अपने निर्णय दिनांक 5–3–2002 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर केवल एक खसरा गिरदावरी संवत 2055–2058 में अंकित चाह के आधार पर अपीलीय न्यायालय ने अपीलाण्ट/प्रतिवादी को खसरा नंबर 1536/0.16 एयर पर किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करने हेतु डिक्री जारी कर दी । इस प्रकार अपीलीय न्यायालय द्वारा खसरा गिरदावरी के अंकन के आधार पर अपील स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी खतौनी संवत 2051 से 2055 में खसरा नंबर 1535 व 1536 पर मदन व रघुनाथ व रामस्वरूप पि0 नारायण कौम फौजदार सा0 नगला फौजदार व ब0हि0ब0 3/4 खातेदार व मु0 लीला बेवा छोटेलाल व निरजंन सिंह बच्चूसिंह पि.0 छोटेलाल कौम जाट ब0 हि0 ब0 3/16 सा0 न0 फौजदार खातेदार मु0 गंगादेई बेवा ध्रुवसिंह व पुष्कर पुत्र ध्रुवसिंह कौम जाट ब0हि0ब0 1/16 सा0 न0 फौजदार खातेदार अंकन है, लेकिन गैर मुमकिन चाह का अंकन नहीं है । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि गैर मुमकिन चाह किस खसरा नंबर में है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में में यह अस्पष्ट है कि गैर मुमकिन चाह किस खसरे में है । मौका रिपोर्ट में खसरा नंबर 1536 की सीमा से दूर ए बिन्दु पर गैर मुमकिन चाह दर्शाया गया है लेकिन ए बिन्दु पर कौन से खसरा नंबर का अंकन है, यह स्पष्ट नहीं है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस विधिक बिन्दु पर ध्यान दिए बिना निर्णय पारित किए है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा यह कहीं भी अंकन नहीं किया कि गैर मुमकिन चाह किस खसरे में है जबकि हस्तगत प्रकरण का मुख्य विवाद बिन्दु यही है जिसे निर्णित किया जाना है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेण्ट/वादी का दावा खारिज कर दिया जबकि अपीलीय न्यायालय द्वारा केवल एक खसरा गिरदावरी के आधार पर अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया । हमारी सुविचारित राय में पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अनुसार खसरा नंबर 1536 व 1535 संयुक्त खातेदारी के है परन्तु विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका कमिश्नर रिपोर्ट, दस्तावेजी साक्ष्यों आदि से भी यह तथ्य साबित नहीं हो रहा है कि गैर मुमकिन चाह किस खसरा संख्या में तथा किस ग्राम में स्थित है । ऐसी स्थिति में विवादित भूमि

का सर्वेक्षण कराया जाकर प्रकरण का विधिसम्मत निस्तारण किए जाने बाबत प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

9— उक्त विवेचन के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4—3—2002 एवं सहायक कलेक्टर, डीग का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8—12—2000 निरस्त किए निरस्त किए जाते हैं। प्रकरण सहायक कलेक्टर, डीग को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे भू प्रबन्ध विभाग के कार्मिकों की एक सर्वेक्षण टीम का गठन कराया जाकर विवादित भूमि का जीपीएस मशीन से सर्वे कराया जाकर प्रकरण का विधिसम्मत निर्णय से निस्तारण करें । अन्य कोई प्रार्थना—पत्र, यदि लम्बित हों, तो तद्नुसार निर्णित किए जाते हैं। उभय पक्षकारान सहायक कलेक्टर, डीग के समक्ष दिनांक 24—1—2025 को उपस्थित हों ।

पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) (हेमन्त कुमार गेरा)

सदस्य अध्यक्ष